



M.: 98145-23801, 97794-51344

L.L. No. 01874-220801

E-mail : kanwalbakshi65@gmail.com

# Friends HIM Energies

Head Office C/o Happy Sen. Sec. School, Jail Road, Gurdaspur

Ref. No. PHE/SHP/SIW-IX-0078

Dated 22-9-21

To

The Divisional Forest Officer,  
Churah (Salooni) Distt. Chamba H.P.

Subject: - Diversion of 8.0678 ha. of forest land in favour of M/S Friends Him Energies C/o Near Happy Sr. Sec. school, Jail Road, Gurdaspur- 143521 for the construction of Siul-IV SHEP. Within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba HP. (online Proposal No. FP/HP/HYD/35437/2018)

Respected Sir,

In reference of Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Integrated Regional office, Shimla First and Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001. Present Address: Integrated Regional office, 25 Subhash Road. Dehradun-248001, letter No. 8B/HP/01/147/2019/FC/101 Dated 22-06-2021 vide which they have pointed out some shortcoming in the proposal folder in respect of above cited subject. In this context we have submitting point wise reply for your kind information and farther necessary action please.

1. In this point, it has been submitted the around area for transmission line ROW and as per the revenue department measurement unit, according to Himachal Pradesh Revenue department 15meters equal to  $15/1.42 = 10.5633$  karma comes. So the total breadth is taken in 11 karmas. According to the opinion of the revenue deptment, one karma is equal  $=1.42$ metrs. If equal to  $11 \times 1.42 = 15.62$  meters. Similarly the width of ROW is taken 11 karama which is equal to 15.62 meters to match the requirement of forest department for the transmission line. Also the necessary correction and justification have been made by Deputy Commissioner Chamba Distt. Chamba Himachal Pradesh on justify the local measurement. The copy of measurement justification is attached herewith.
2. In this point ends of the State Government may provide its comments. For favour of further necessary action please. Kindly approve and oblige.

Yours Sincerely,  
Project Manager  
Authorized Signatory  
M/S Friends Him Energies

Copy to: - CC.F, Chamba Circle Chamba for necessary action.

हिमाचल प्रदेश सरकार  
कार्यालय उपायुक्त चम्बा जिला चम्बा।

संख्या-चम्बा-111-10(Misc.)/2021- 22914

दिनांक चम्बा 21 अगस्त, 2021

प्रेषित,

एम0/एस0 फ़ैंड्स हिम एनेर्जिज,  
स्युल-IV लघु जल विद्युत परियोजना नजदीक हैप्पी,  
सीनियर सैंकेंडरी स्कूल, जेल रोड, गुरदारपुर पंजाब।



विषय: - एम0/एस0 फ़ैंड्स हिम एनेर्जिज स्युल-IV लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए दर्शाये गए अवयव ट्रांसमिशन लाइन (Transmission line) की जमीन का कुल क्षेत्रफल में स्वीकार्य और आस्वस्थ संसोधन करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय पत्र संख्या FHE/SHP/Suil-IV-0071 दिनांक 10 अगस्त, 2021 के सन्दर्भ में मांगी गई सूचना क्षेत्रिय राजस्व इकाई से तैयार करवाई गयी। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सलूणी कर्म व मीटर का औचित्य इस प्रकार से है।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अनुसार चम्बा में कानूनी बंदोबस्त वर्ष 1954 से 1960 तक हुआ है तथा जिले का पैमाना 56 इंच प्रति करम के हिसाब से दर्ज कागजात है। एम0/एस0 फ़ैंड्स हिम एनेर्जिज द्वारा विद्युत संचारण रेखा (Transmission line) अवयव को 15 मीटर कॉरिडोर के लिए भूमि अर्जित की जा रही है। परन्तु राजस्व अभिलेख में करम के हिसाब से पैमाइश है इसलिए मीटर में मौका ततीमा बनाया जाना असंभव है, इसलिए हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के अनुसार 15 मीटर =  $15 / 1.42 = 10.5633$  (karama) करम आता है। जिससे कुल क्षेत्रफल कम पड़ जाता है। हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के माप के अनुसार करम (Karama) मीटर में विभाजित नहीं होते हैं करम (Karama) को पूरा-पूरा लेना पड़ता है। इसलिए कुल चौड़ाई 11 करमों (Karama) में लिया है। राजस्व विभाग के माप के अनुसार एक करम (Karama) = 1.42 मीटर होता है। अगर  $11 \times 1.42 = 15.62$  मीटर के बराबर आता है।

तदनुसार परियोजना के निर्माण के लिए कुल चौड़ाई बढ़ाकर 11 करमों (Karama) में लिया गया है। हिमाचल प्रदेश राजस्व इकाई के अधिनियमानुसार न्यायसंगत, औचित्य विकल्प निकाल कर ट्रांसमिशन लाइन की कुल चौड़ाई 15 मीटर न लेते हुए 15.62 मीटर रखनी होगी यानि 10.5633 करम (Karama) न लेते हुए 11 करमों (karama) में लिया जाना उचित है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भू-हस्तांतरण की प्रक्रिया अगामी कार्यवाही के लिए प्रेषित की जाती है।

भवदीय,  
14/8/21  
उपायुक्त चम्बा,  
जिला चम्बा।